राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5310 दिनांक 30.07.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रकिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA एवं अनुच्छेद 243K के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या 559 दिनांक 07.02.2019 एवं आदेश संख्या 603 दिनांक 19.01.2026 को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किये जाने से पूर्व में जारी निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. आधार कार्ड,
2. विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/ मनरेगा कार्ड,
3. बैंको/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड,
5. ड्राइविगं लाइसेन्स,
6. पैन कार्ड,
7. भारतीय पासपोर्ट,
8. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पहचान स्थापित करने के लिए उक्त वर्णित वैकल्पिक दस्तावेजो में यदि कोई कालातीत अवधि अंकित की गई हो तो पहचान पत्र उक्त वर्णित अवधि तक के लिए ही मान्य होगा।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

स्वच्छ एव पारदर्शी चुनाव सम्पादित करवाने हेतु फर्जी/मिथ्या मतदान को प्रतिबधिंत किया जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह समुचित समझा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि किसी भी मतदाता द्वारा मिथ्या/कूटरचित पहचान पत्र के आधार पर मतदान करने अथवा किसी अन्य मतदाता का प्रतिरूपण करके मतदान करने का प्रयास किया जाता है तो उसके विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता की धारा 172** के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। धारा 172 के प्रावधान निम्नानुसार है:–

"जो कोई, किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे देने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है:–

परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी निर्वाचन के लिए परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है जहां तक वह ऐसे निर्वाचक के लिए परोक्षी के रूप में मतदान करता है।"

निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए **भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 में दण्ड का प्रावधान** दिया गया है, जो निम्नानुसार है:–

"जो कोई, किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का या प्रतिरूपण का अपराध करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

भवदीय,

30/7/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5311-20 दिनांक: 30.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
7. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम– प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु, ई–गजट पर अपलोड करने, संबंधित को ई–मेल करने एवं आयोग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(नीरज शर्मा)
सहायक सचिव